बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 320520 पटना, दिनांक 08/08/2017

ग्रा0वि0-08 (विविध)-15/2017

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय:- **मनरेगा अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत निगरानी एवं अनुश्रवण समिति के गठन के संबंध में ।**

प्रसंग:- **विभागीय पत्रांक 160644 दिनांक- 22.08.2013 ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक भारत सरकार की मार्गदर्शिका (MGNREGA Operational Guidelines,2013) की कंडिका 13.6.4 अंतर्गत स्थानीय स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समिति के गठन के संबंध मे दिये गये दिशा निर्देश के आलोक मे प्रासंगिक पत्र के द्वारा निदेश दिया गया था ।

अत: प्रासंगिक पत्र की प्रति पुन: संलग्न करते हुए अनुरोध है कि ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत निगरानी एवं अनुश्रवण समिति के गठन के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई कर इससे विभाग को अवगत कराया जाय ।

अनुलग्नक:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

(6)

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 160644 पटना, दिनांक 22-08-2013

ग्रा.वि. 7(आ) -32/ 2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय :- **मनरेगा अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत निगरानी एवं समितियों (Panchayat Vigilance and Monitoring Committee) के गठन के संबंध में ।**

महाशय,

आप अवगत हैं कि मनरेगा योजना अंतर्गत पारदर्शिता एवं जवाबदेही को जमीनी स्तर पर सुनिश्चित करने के लिये स्थानीय स्तर पर एक सतर्कता एवं निगरानी समिति (Vigilance and Monitoring Committee) का गठन किया जाना है । इस क्रम में समय समय पर निदेश निर्गत किये गये हैं ।

Comptroller and Auditor General (C&AG) के द्वारा संसद में प्रस्तुत प्रदर्षण परीक्षा (Performance Audit) प्रतिवेदन के बिहार से सबंधित प्रतिवेदन की कंडिका 13 में, इस क्रम में अनुपालन की स्थिति निम्नवत पायी गयी है:-

"Local Vigilance and Monitoring Committee was not constituted..."

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुरूप कार्यान्वयन कराने की जिम्मेवारी जिला कार्यक्रम समन्वयक की है ।

भारत सरकार की अद्यतन मार्गनिर्देशिका (MGNREGA Operational Guidelines, 2013) के कंडिका 13.6.4 अंतर्गत स्थानीय स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समिति के गठन के संबंध में दिये गये दिशा निदेशो के आलोक में पुनः निम्नलिखित निदेश दिये जा रहे है । इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी निदेश यथा संशोधित समझे जाय ।

1. **पंचायत सतर्कता एवं निगरानी समिति (Vigilance and Monitoring Committee) का गठन:-**

   i. पंचायत स्तर पर सतर्कता और निगरानी समिति को ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिये गठित किया जाना है । प्रत्येक ग्राम पंचायत में इसका गठन सुनिश्चित किया जाय । इसे पंचायत निगरानी एवं अनुश्रवण समिति () के नाम से जाना जायेगा ।

26.8.13

करेगी । कार्यक्रम पदाधिकारी इसे 7 दिनो के अन्दर सुनिश्चित करायेंगे तथा संबंधित पंचायत रोजगार सेवक पर यथोचित कार्रवाई करेंगें ।

iii. सामग्रियों की गुणवता एवं लागत का मुल्यांकन करना ।

iv. कार्य की समाप्ति पर इसके संतोषजनक पूर्णता संबंधी पूर्णता रिपोर्ट उपलब्ध कराना जिसमे कार्य के स्वरूप का गुणात्मक मुल्यांकन तथा इसकी उपयोगिता का उल्लेख हो ।

v. सतर्कता और निगरानी समिति समवर्ती सामाजिक लेखा-परीक्षा के लिए मंच का कार्य करेगी ।

vi. प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को अपराह्ण में पंचायत कार्यालय में बैठक कर अनुश्रवण करना । इस बैठक में पंचायत रोजगार सेवक सभी सूचनाओं के साथ के साथ भाग लेंगे । वे समिति को सारी सूचनायं देंगे ।

vii. पंचायत रोजगार सेवक का दायित्व होगा कि प्रत्येक कार्य के शुरू होने की लिखित जानकारी दो दिन पूर्व सचिव, PVMC को देंगे । PVMC का कोई भी सदस्य कार्य स्थल पर मस्टर राल की जांच कर सकता है एवं अपना अभिमत मस्टर राल पर दर्ज कर सकता है । यदि कार्य स्थल पर मस्टर राल उपलब्ध नही है तो उस दिन का कोई भुगतान नही होगा । PVMC सदस्य इस आशय की लिखित सूचना पंचायत रोजगार सेवक को देंगे जो इसका पालन करने के लिये बाध्य होंगे ।

viii. PVMC द्वारा की गयी हर शिकायत को पंचायत रोजगार सेवक ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी की बैठक में रखकर निराकरण करायेंगें ।

ix. PVMC के किसी सदस्य के अनुचित आचरण के बारे में ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी अपना अभिमत कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजेंगे जो जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रतिवेदन भेजेंगे । जिला कार्यक्रम समन्वयक ऐसे PVMC सदस्य को हटा सकेंगे तथा नया सदस्य चुनने हेतु संबंधित वार्ड/ ग्राम सभा को सूचित करेंगें ।

3. **पंचायत निगरानी एवं अनुश्रवण समिति (PVMC) के प्रतिवेदनो पर अपेक्षित कार्रवाई**

i. पंचायत निगरानी एवं अनुश्रवण समिति (PVMC) की रिपोर्ट को ग्राम सभा की बैठकों में प्रस्तुत किया जायेगा ।

ii. कार्यक्रम अधिकारी प्राप्त रिपोर्टो पर 15 दिनों में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे तथा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट समिति के सचिव को उपलब्ध करायेंगे ।

iii. कार्यक्रम पदाधिकारी के स्तर पर की गई कार्रवाई से असंतुष्टि की स्थिति में समिति समिति अपनी शिकायत जिला कार्यक्रम समन्वयक/ लोकपाल को कर सकेंगे जो विधि सम्मत निष्पादन करेंगे ।

iv. समिति से प्रतिवेदन एवं उसपर की गयी कार्रवाई, संबंधित प्रतिवेदनो की प्रतियां को योजनाओं के अभिलेख में निश्चित रूप से संधारित किया जायेगा ।